

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प हरिपुरा

क्रमांक: राजस्व/2021/


दिनांक: / /2021

124/2021

आदेश

आवेदक श्री रामसहाय ने  
तहसील कोटखावदा में ग्राम कोटखावदा स्थित आराजी  
ख.न. रकबा के संबंध में जमाबन्दी  
सम्बत् 2073-2076 के खाता संख्या 548 पर अंकित प्रविष्टि  
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम  
कोटखावदा की जमाबन्दी के खाता संख्या 548 की प्रविष्टि के  
स्थान पर रामसहाय पुत्र महादेव  
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के  
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
पटवारी हल्का कोटखावदा की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा  
की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री रामसहाय पुत्र  
श्री महादेव जाति भाली निवासी कोटखावदा  
कोटखावदा तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत् 2073-2076  
के खाता संख्या 548 में अंकित प्रविष्टि रामसहाय  
पुत्र सुखा के स्थान पर रामसहाय पुत्र महादेव  
किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन  
किया जावे।




शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)

दिनांक: 02/12/2021

क्रमांक: राजस्व/2021/3605

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का कोटखावदा



शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)  
उपखण्ड अधिकारी